प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका क्रमांक 5715/2005

याचिकाकर्ता - श्रीमती सुकांति नायक

बनाम

उत्तरवादीगण - प्रमुख महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक एवं अन्य

आदेश हेतु दिनांक 27.02.2007 को सूचीबद्ध करें।

सही/-

(सतीश के. अग्निहोत्री)

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका क्रमांक 5715/2005

याचिकाकर्ता - श्रीमती सुकांति नायक

बनाम

उत्तरवादीगण - मुख्य महाप्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एवं अन्य

एकल पीठ : माननीय न्यायमूर्ति श्री सतीश के. अग्निहोत्री

.....

उपस्थितः

श्री आलोक देवांगन, अधिवक्ता, याचिकाकर्ता की ओर से।

श्री संजय के. अग्रवाल, अधिवक्ता, उत्तरवादीगण की ओर से।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

.....

आदेश

(दिनांक 27 फरवरी, 2007 को पारित)

(1) इस याचिका द्वारा याचिकाकर्ता ने उत्तरवादीगण को यह निर्देश देने की प्रार्थना की है कि याचिकाकर्ता को अनुकंपा नियुक्ति पर नियुक्त किया जाए तथा पति की मृत्यु के उपरांत तत्काल नियुक्ति न दिए जाने के कारण भारी क्षतिपूर्ति भी प्रदान की जाए।

(2) निर्विवाद तथ्य संक्षेप में यह हैं कि याचिकाकर्ता के पति, श्री भास्कर नायक, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मुख्य शाखा, जगदलपुर, जिला बस्तर में सुरक्षा गार्ड के पद पर कार्यरत थे, का दिनांक 06.07.2000 (अनुलग्नक पी.-2) को सेवा के दौरान निधन हो गया। मृतक अपने पीछे याचिकाकर्ता, तीन पुत्रियों एवं एक नाबालिग पुत्र को छोड़ गए।

(3) याचिकाकर्ता ने अनुकंपा नियुक्ति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। उत्तरवादी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा दिनांक 22.07.2005 (अनुलग्नक पी.-1) के पत्र के माध्यम से

याचिकाकर्ता को सूचित किया गया कि परिवार की आय इतनी पर्याप्त पाई गई है कि वह मृतक पति की मृत्यु के पश्चात उत्पन्न आर्थिक संकट से उबर सकता है, अतः अनुकंपा नियुक्ति प्रदान नहीं की जा सकती।

(4) याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित अधिवक्ता का यह तर्क है कि याचिकाकर्ता, अपने दिवंगत पति की आश्रित होने के कारण, उत्तरवादी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी अनुकंपा नियुक्ति योजना (अनुलग्नक आर-1) के अनुसार नियुक्ति पाने की अधिकारी है, जो मृत कर्मचारी/चिकित्सकीय आधार पर सेवानिवृत्त कर्मचारी के आश्रितों के लिए बनाई गई है।

(5) उक्त योजना की धारा 10 के अनुसार, परिवार की आर्थिक स्थिति का निर्धारण करना अनुकंपा नियुक्ति के प्रस्तावों पर निर्णय लेने हेतु एक महत्वपूर्ण मानदंड है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

धारा 10 का प्रावधान निम्नानुसार है :–

धारा 10 : परिवार की आर्थिक स्थिति

सार्वजनिक सेवाओं में नियुक्तियां सामान्यतः आवेदन आमंत्रण एवं योग्यता के आधार पर की जाती हैं। तथापि, सेवा में रहते हुए मृत्यु होने पर ऐसे कर्मचारियों के आश्रितों के पक्ष में अपवाद किया जाता है, जो अपने परिवार को निर्धनता एवं आजीविका के साधनों के अभाव में छोड़ जाते हैं। अतः अनुकंपा नियुक्ति के प्रस्तावों पर निर्णय लेने के लिए परिवार की आर्थिक स्थिति का निर्धारण एक महत्वपूर्ण मानदंड है।

परिवार की आर्थिक स्थिति का आकलन करते समय निम्नलिखित कारकों को ध्यान में रखा जाना चाहिए :–

(i) पारिवारिक पेंशन

(ii) प्राप्त उपादान राशि

(iii) भविष्य निधि में कर्मचारी/नियोक्ता का अंशदान

(iv) बैंक या उसके वेलफेयर फंड द्वारा दिया गया कोई क्षतिपूर्ति

(v) एल.आई.सी. पॉलिसी तथा मृत कर्मचारी के अन्य निवेशों से प्राप्त राशि

(vi) परिवार की अन्य स्रोतों से आय

(vii) परिवार के अन्य सदस्यों की सेवा या अन्य स्रोतों से आय

(viii) परिवार का आकार तथा सत्यापन योग्य देनदारियां, यदि कोई हों।

6) उत्तरवादीगण ने अपने जवाब में यह प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता के परिवार की मासिक आय 3,121/- रूपये है, जबकि मृत पति का वेतन 3,657/- रूपये था। इसके संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार हैं :–

परिवार की आर्थिक स्थिति संबंधी विवरण (उत्तरवादीगण के अनुसार):

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1. मृत कर्मचारी का नाम : स्वर्गीय श्री भास्कर नायक
2. आश्रितों की संख्या : 05
3. स्कूल/कॉलेज जाने वाले बच्चों की संख्या : 04 (चार आश्रित स्कूली शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं)
4. विवाह योग्य पुत्रियों की संख्या : शून्य
5. क्या गंभीर बीमारी से मृत्यु हुई : नहीं
6. बाहरी ऋण : 10,000/- रूपये का ऋण बताया गया, परन्तु पर्याप्त प्रमाण न होने के कारण इसे स्वीकार नहीं किया गया ।
7. वेतन/आय विवरण :
   - अंतिम सकल वेतन : 5,719/- रूपये
   - अंतिम शुद्ध वेतन : 3,577/- रूपये
   - अनुमानित मासिक आय : 2,798/- रूपये
8. आवासीय सुविधा की उपलब्धता : नहीं
9. टिप्पणी :

परिवार के आकार, मृत कर्मचारी की आयु, आश्रितों की संख्या एवं आयु,

आवासीय सुविधा के अभाव तथा परिवार की अनुमानित मासिक आय को ध्यान में रखते हुए, परिवार की स्थिति को निर्धन माना जा सकता है। विस्तृत टिप्पणी साथ संलग्न है।

(7) इसी प्रकार की योजना भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बनाम जसपाल कौर के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन आई थी। उक्त प्रकरण में योजना तथा याचिकाकर्ता की आय के स्रोतों पर विचार करने के पश्चात् माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कंडिका 27 में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया :–

> **"27.** अतः अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करते समय एक प्रमुख मानदंड यह होना चाहिए कि मृतक द्वारा पीछे छोड़े गए परिवार की आर्थिक स्थिति क्या है। जब तक परिवार की आर्थिक स्थिति पूर्णतः दयनीय न हो, तब तक ऐसी नियुक्ति नहीं दी जा सकती। वर्तमान प्रकरण में, उत्तरवादी के परिवार की आर्थिक स्थिति दीन-हीन नहीं है। अपीलार्थियों द्वारा 4,57,607/- रुपये की राशि अंतिम सेवा लाभ के रूप में प्रदान की जा चुकी है (19,183/-रूपये की देनदारियों की कटौती के पश्चात)। इसके अतिरिक्त 2,055/- रूपये प्रतिमाह पारिवारिक पेंशन तथा स्टाफ म्यूचुअल वेलफेयर योजना के अंतर्गत दिया जा रहा है। साथ ही, कुल मासिक आय₹5,855/- रूपये है (2,055/- रूपये पेंशन + 3,800/- रूपये निवेश पर अनुमानित ब्याज)। सक्षम तथ्य-निर्धारण प्राधिकारी ने उपर्युक्त वित्तीय तथ्यों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि परिवार की आर्थिक स्थिति दयनीय नहीं है तथा परिवार अपने भरण-पोषण हेतु पर्याप्त आय अर्जित कर रहा है। अतः उत्तरवादी को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान नहीं की गई। हम इस प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए बैंक प्राधिकरण के आदेश में हस्तक्षेप करना आवश्यक नहीं समझते।"**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(8) वर्तमान प्रकरण में, सक्षम प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला है कि याचिकाकर्ता का परिवार अपने भरण-पोषण हेतु पर्याप्त आय अर्जित कर रहा है। अतः इस प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए, बैंक प्राधिकरण द्वारा

पारित आदेश में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार, दिनांक 22.07.2005 (अनुलग्नक पी.-1) का आदेश भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत इस न्यायालय की अधिकारिता के प्रयोग में हस्तक्षेप योग्य नहीं है।

(9) परिणामस्वरूप तथा उपर्युक्त कारणों के आधार पर, यह रिट याचिका खारिज की जाती है। वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जा रहा है।

सही/-

(सतीश के. अग्निहोत्री)

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**